FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेड़ा

पजेराम बनाम कैलाशी बाई

मा मुकदमा दावा नं. 140/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/7/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। एस.डी.ओ.सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली हुक्म साविका दिनांक 9/11/22 को पेश है। आज्ञा से	
9/11/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। एस.डी.ओ.सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली हुक्म साविका दिनांक 27/3/23 को पेश है। आज्ञा से	
27/3/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। एस.डी.ओ.सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली हुक्म साविका दिनांक 3/7/23 को पेश है। आज्ञा से	
17/5/23	पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान मे पेश हुई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पजेराम अनुसूचित जनजाति से संबंधित काश्तकार [illegible] प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के तहत दावा पेश किया गया। हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नि० [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:03:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	की धारा 183 B (183ख) का अवलोकन अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 'ख' जिसके अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों की कार्यवाही पर बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद संक्षेप (जांच के बाद) में की जायेगी। अत: पत्रावली तहसीलदार के न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने के कारण पत्रावली तहसीलदार के न्यायालय में इस आशय से भेजी जाती है कि दोनों पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए 1 माह मे पत्रावली का निस्तारण करे। मूल पत्रावली तहसीलदार को लौटायी जावे। प्रार्थी को सूचित होवे। न्यायालय ... से पत्रावली (नकल से) कम की जाकर तहसीलदार न्यायालय को स्थानान्तरण की जावे। उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा 17/5/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:03:09 IST
Reason: SelfAttested